राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4081/2022

पूनम वर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राओपुरा, जिला जयपुर।
5. मुकेश कुमार यादव, स्कूल व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेड़, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राओपुरा (Raopura), जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेड, जयपुर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिए जाने के आदेश जारी किए गए है परन्तु आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जारी नहीं किया गया है तथा अवैध व अनुचित

है। अपीलार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 28.05.2015 को हो चुकी है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी एकल महिला है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे है कि जहां तक हो सके विधवा महिलाओं का स्थानान्तरण नहीं किया जावे तथा नजदीकी स्थान पर ही पदस्थापित रखा जावे। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13958/2021 मंजू स्वामी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 (अनुलग्नक–3) एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3170/2022 ओमप्रभा मेहता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपपुरा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2019 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के भीतर ही किया गया है तथा स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी को टीए/डीए देय होना अंकित किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–5 का पदस्थान किया जाना समंजन (Accommodation) नहीं माना जा सकता है। स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती एवं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य